225 RTA/2021/10

आदुराम बनाम मूलाराम

13-6-22

विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष द्वारा न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए दौराने बहस प्रकरण में चूंकि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से किला नम्बर 25 में से स्वीकृत रास्ते की एवज में अन्य भूमि अथवा राशि देने के बाबत् पत्रावली को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का कथन किया गया। इस संबंध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया।

प्रकरण में अपीलांट् द्वारा अदालत मातहत के समक्ष अपनी आराजी चक 40 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 160/30 के किला नम्बर 1 ता 14 में आवागमन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के किला नम्बर 25 में से होते हुए किला नम्बर 16 व 15 से अपने किला नम्बर 14 में प्रवेश हेतु रास्ते की मांग किये जाने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से एक दूसरे को 02-02 बिस्वा भूमि देकर रास्ते के प्रकरण को निपटाने का कथन किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत की भावना से पक्षकारों के मध्य शांति से समझौता अनुरूप कार्य व परस्पर मुकदमेंबाजी कम होने के तथ्य को आधार बनाते हुए पक्षकारों की आपसी सहमति से चक 40 केवाईडी के मुरब्बा नम्बर 160/30 के किला नम्बर 25 में से 02 बिस्वा रास्ता कायम किला नम्बर 16 व 15 में 02-02 बिस्वा भूमि सींव-सींव जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूलाराम के नाम दर्ज है की जगह अपीलांट् आदुराम के नाम दर्ज करने तथा आदुराम के किला नम्बर 14, 13 व 12 की 02-02 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूलाराम के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्/प्रार्थी जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रास्ते की मांग की गई थी, अपील प्रस्तुत करते हुए किला नम्बर 25 में से स्वीकृत रास्तें का उपयोग व उपभोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा भी किये जाने की स्थिति में अपीलाधीन आदेश को निरस्त करने की मांग प्रस्तुत अपील के माध्यम से की गई है।

प्रकरण में चूंकि पूर्व में अपीलांट्/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आते हुए आपसी सहमति से किला नम्बर 25 में से रास्ता व किला नम्बर 16 व 15 में से रास्ते की भूमि अर्थात 02-02 बिस्वा भूमि की एवज में एक-दूसरे को पारस्परिक स्थानान्तरण के अनुसार किला नम्बर 16 व 15 में 02-02 बिस्वा भूमि जोकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

मूलाराम के नाम दर्ज है की जगह अपीलांट् आदुराम के नाम दर्ज करने तथा आदुराम के किला नम्बर 14, 13 व 12 की 02–02 बिस्वा भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मूलाराम के नाम दर्ज करने की आपसी सहमति प्रदान की जा चुकी है तथा अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की आपसी सहमति से ही किला नम्बर 25 में से 02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया है। जोकि मौके की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त रास्ता प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अब पुनः पक्षकारों की आपसी सहमति से प्रकरण को अनावश्यक रूप से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का कोई तर्कसंगत कारण न्यायालय को प्रतीत नहीं होता है। अदालत मातहत द्वारा मौके की स्थिति के अनुसार व तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर किला नम्बर 25 में से 02 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करते हुए पक्षकारों को अन्य किलों में रास्ते हेतु उपयोग व उपभोग में आने वाली भूमि की एवज में परस्पर हस्तान्तरण के अनुसार भूमि देने के आदेश विधि सम्मत तरीके से पारित किये गये है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील के माध्यम से अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06–12–2019 यथावत बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफत्र हो।

13/6/2022

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते